REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052023-246151 CG-DL-E-29052023-246151

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320] नई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 2023/ज्येष्ठ 8, 1945 No. 320] NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 2023/JYAISHTHA 8, 1945

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2023

सा.का.नि. 394(अ).—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (घ), (घ क) (घ ख) और (घ ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार कोयला ब्लॉक आवंटन नियम, 2017 में और संशोधन करने के लिए निम्नालिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोयला ब्लॉक आवंटन (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कोयला ब्लॉक आवंटन नियम, 2017 में, नियम 5 के उपनियम (5) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में, – "बैंक गारंटी के रूप में" शब्दों का लोप किया गया।

[फा. सं. 11022/01/2015-सीए-III]

म. नागराजू, अपर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 877(अ), तारीख 13 जुलाई, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 300(अ) तारीख 18 मई, 2020 द्वारा संशोधित किए गए थे।

3396 GI/2023

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2023.

G.S.R. 394(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (d), (da), (db) and (dc) of sub-section (2) of section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coal Blocks Allocation Rules, 2017, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Coal Blocks Allocation (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coal Blocks Allocation Rules, 2017, in rule 5, in sub-rule (5), in clause (c), in sub-clause (iii), the words "in the form of bank guarantee" shall be omitted.

[F. No. 11022/01/2015-CA-III]

M. NAGARAJU, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 877(E), dated the 13th July, 2017 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R 300(E), dated the 18th May, 2020.